प्रेस नोट – मॉनीटरिंग सेल

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक – 05.09.2026

ऑपरेशन कन्विक्शन: अवैध मादक पदार्थ (चरस) बेचने के मामले में शाहजहाँपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी।

अभियुक्त के कब्जे से 265 ग्राम चरस बरामद होने के आरोप में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 50 हजार अर्थदण्ड ।

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशानुसार जघन्य अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों को न्यायालय से अधिकतम एवं कठोर दण्ड दिलाये जाने हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन, बरेली एवं श्री अजय कुमार साहनी, पुलिस उपमहानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र, बरेली के निर्देशानुसार श्री सौरभ दीक्षित, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के कुशल निर्देशन में शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित कर जघन्य अपराध के मामले में न्यायालय से कठोर सजा दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है।

श्री देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर तथा श्री शुभम वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर/प्रभारी पैरवी के कुशल पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल, थाना बण्डा पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रकरण की निरन्तर प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस टीम द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित साक्ष्यों एवं कुल 06 गवाहों को समयबद्ध रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया तथा अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गई, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय एडीजे-42, शाहजहाँपुर द्वारा अभियुक्त रामकेशन पुत्र पोथीराम निवासी ग्राम बौंठा जमालपुर थाना बण्डा जनपद शाहजहांपुर को 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 50 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

बण्डा पुलिस की सतर्कता एवं त्वरित कार्यवाही से 265 ग्राम चरस बरामद, अभियुक्त को न्यायालय से 05 वर्ष का सश्रम कारावास

दिनांक 06.04.2021 को थाना बण्डा में तैनात उ0नि0 रवेन्द्र सिंह मय हमराहीगण के थाना क्षेत्र में भ्रमणशील थे तभी थाना बण्डा क्षेत्र के अन्तर्गत पडने वाले लालपुर बिजली घर के पास 01 व्यक्ति दिखाई दिया। वही से कुछ दूरी पर पुलिस टीम द्वारा पीछा करने पर उस व्यक्ति को रोका गया तथा पूछताछ की गयी तो उसने अपना नाम रामकेशन पुत्र पोथीराम निवासी ग्राम बौंठा जमालपुर थाना बण्डा जनपद शाहजहांपुर बताया तथा अपने पास चरस होना बताया गया। पुलिस टीम द्वारा मौके पर ही श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुवायां को उक्त विषय के बारे बताया गया तथा मौके पर बुलाया गया जिसके पश्चात श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुवायां की मौजूदगी में पुलिस टीम द्वारा उस व्यक्ति की जामातलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से 265 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस टीम द्वारा मौके पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान एकत्रित भौतिक एवं मौखिक साक्ष्यों तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को मजबूती से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पुलिस एवं अभियोजन की निरन्तर एवं प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय द्वारा रामकेशन पुत्र पोथीराम निवासी ग्राम बौंठा जमालपुर थाना बण्डा जनपद शाहजहांपुर को दोषसिद्ध पाते हुए 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹50 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा प्राप्त अभियुक्त का विवरण

रामकेशन पुत्र पोथीराम निवासी ग्राम बौंठा जमालपुर थाना बण्डा जनपद शाहजहांपुर।

प्रकरण का विवरण

मु0अ0सं0 211/2021, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर।

प्रकरण में अभियुक्त रामकेशन उपरोक्त के कब्जे से 265 ग्राम चरस बरामद होने का आरोप था। प्रकरण में थाना बण्डा पुलिस, मॉनीटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए कुल 06 साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया तथा उपलब्ध साक्ष्यों को मजबूती से रखा गया। परिणामस्वरूप **माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त रामकेशन पुत्र पोथीराम निवासी ग्राम बौंठा जमालपुर थाना बण्डा जनपद शाहजहांपुर को 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹ 50 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस की प्रतिबद्धता

शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा जघन्य अपराधों में अपराधियों को कानून के कठघरे तक पहुंचाने के साथ-साथ न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर उन्हें कठोर दण्ड दिलाने का अभियान निरन्तर जारी है। ऑपरेशन कन्विक्शन के माध्यम से अपराधियों में कानून का भय एवं आमजन में सुरक्षा का विश्वास कायम करने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।